(TO BE PUBLISHED IN PART -IV EXTRAORDINARY OF THE DELHI GAZETTE)

Government of National Capital Territory of Delhi Department of Law Justice & Legislative Affairs, 8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-2.

No. F.9/01/08/AR/ 9864 - 9978/C Dated: 03/11/08

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with Section 5 of the Delhi Lokayukta and Upalokayukta Act 1995 (Delhi Act of 1996) and with the prior approval of the President of India, I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoint Shri Justice Manmohan Sarin, retired Chief Justice of the High Court of Jammu & Kashmir as Lokayukta for the National Capital Territory of Delhi.

Shri Justice Manmohan Sarin shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

(Tejendra Khanna)

Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.

No. F.9/01/08/AR/ 9864 -9978/c

Dated: 03/11/08

Copy forwarded to :-

- 1. Pr. Secretaries/Secretaries/Special Secretaries/Joint Secretaries/Dy.Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- All Heads of Departments;, Government of NCT of Delhi, Delhi/New 2.
- All Heads of Local Bodies/Autonomous Bodies/ Undertakings and other 3. institutions owned or substantially financed by the Government of NCT of Delhi.
- 4. Pr. Secretary to the Lt. Governor/Pr. Secretary to Chief Minister/Secretary to Ministers.
- OSD to Chief Secretary, Delhi Secretariat, 5th Level, A-Wing, New Delhi. 5.
- Joint Secretary (Coordination) Govt.of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, 6. New Delhi for publication in Delhi Gazette.
- Shri Justice Manmohan Sarin, Lokayukta, 15 Akbar Road, N.Delhi. 7.

(G.P.Mittal)

Pr.Secretary (Law Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग - 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली (प्रशासनिक सुधार विमाग)

संख्या एक. 9/01/08/प्र०सु०/ 9864-9978/८

दिनांक : 03/11/08

अधिसूचना

दिल्ली लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियमं 1995 (दिल्ली अधिनियम संख्या 1, 1996) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 5 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से मैं, तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, श्री मनमोहन सरीन, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का लोकायुक्त नियुक्त करता हूं।

न्यायाधीश श्री मनमोहन सरीन का कार्यकाल इस पद पर कार्यभार संमालने की तिथि से पांच वर्ष तक होगा ।

> तेजेन्द्र रवन (तेजेन्द्र खना) उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

संख्या एफ.9/01/08/प्र0सु0/ 9864-9978/८ दिनांक 03/11/08

प्रतिलिपि प्रेषित :--

- समस्त प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अवर सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली ।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली / नई दिल्ली ।
- समस्त अध्यक्ष, स्थानीय निकायों, स्वायत संगठनों / उपक्रमों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
 दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा पोषित अन्य संस्थाएं, दिल्ली / नई दिल्ली ।
- प्र० सचिव, उपराज्यपाल / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री / सचिव, समस्त मंत्रीगण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
- 5. विशेष कार्य अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
- संयुक्त सचिव (समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेत् ।
- 7. न्यायाधीश श्री मनमोहन सरीन, लोकायुक्त, 15, अकबर रोड, नई दिल्ली ।

जी की किला

(जी0पी0 मित्तल)

प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

D